बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक...........................

आदेश संख्या–08/आ०–05–26/2025....................../श्री सुधीर कान्त शर्मा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास–सम्प्रति–निलंबित को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 18.06.2025 को रिश्वत लेते रंगे–हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 642 दिनांक 01.07.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(2) के तहत श्री शर्मा को हिरासत में भेजे जाने की तिथि 18.06.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के निगरानी थाना कांड संख्या 42/2025 में दिनांक 19.09.2025 को जमानत पर रिहा हुए श्री शर्मा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 को योगदान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 980 दिनांक 24.09.2025 द्वारा श्री शर्मा द्वारा दिनांक 22.09.2025 को दिये गए योगदान को स्वीकृत करते हुए उन्हें दिनांक 22.09.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से उन्हें पुनः निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 145 दिनांक 29.01.2026 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनसे लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री शर्मा द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

4. अतः आरोप की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री सुधीर कान्त शर्मा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिक्रमगंज, रोहतास–सम्प्रति–निलंबित को विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०), रोहतास को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त विभागीय कार्यवाही का विधिवत् संचालन कर विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन 45 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–08 / आ०–05–26 / 2025.....455.....   पटना, दिनांक.....06.04.2026

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०)–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, रोहतास को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास एवं पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री सुधीर कान्त शर्मा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास–सम्प्रति–निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को आरोप पत्र एवं संगत सभी साक्ष्यों की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।